

MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall
High Court Campus, Jabalpur

President
DHANYA KUMAR JAIN
Advocate
Mob.: 9300787853, 9424323429



Resident Add.:
1262, Jai Prakash Nagar
Adhartal, Jabalpur (M.P.)

Ref. No. 1034/26

Date: 22-04-26

प्रति

1. जस्टिस श्री सुधांशु धूलिया जी
2. जस्टिस श्री आर.एस.झा जी
3. जस्टिस श्री प्रितांकर दिवाकर जी
4. जस्टिस श्री सुशील पालो जी

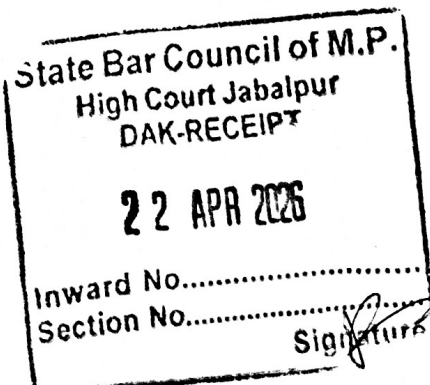
द्वारा- सचिव महोदय, म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर

विषय- म.प्र. राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में बार काउंसिल आफ इंडिया की नियमावली का धोर उल्लंघन और धोर भ्रष्टाचार होने के कारण राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव रद्द करने हेतु आवेदन।

माननीय महोदय

माननीय महोदय, हमारे द्वारा दिनांक 20.03.2026 को प्रारंभिक मतदाता सूची में आपत्ति प्रस्तुत करने एक आवेदन दिया था उसके पश्चात दिनांक 21.03.2026 को भी माननीय मुख्य न्यायाधिपति, भारत को एवं चुनाव समिति को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था एवं दिनांक 09.04.2026 को भी चुनाव में अनियमितताओं के संबंध में एक आवेदन पत्र मुख्य न्यायाधिपति, म.प्र. और आपकी ओर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

महोदय, चुनाव समिति के द्वारा जो वोटर लिस्ट बनाई गई है उस वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 87,414 है। जबकि प्रदेश में कुल नामांकित अधिवक्ताओं की संख्या 1,39,572 है। इस प्रकार 52,158 अधिवक्तागण को चुनाव समिति ने दुर्भावनापूर्वक उनके



MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall
High Court Campus, Jabalpur

President

DHANYA KUMAR JAIN

Advocate

Mob.: 9300787853, 9424323429



Resident Add.:

**1262, Jai Prakash Nagar
Adhartal, Jabalpur (M.P.)**

Ref. No.

Date:

मताधिकार से वंचित कर घोर दंडनीय अपराध किया है। बार काउंसिल के इलेक्शन रूल 1968 के नियम 13 के अनुसार मतदाता सूची जारी करने का नियम है जिसका उद्देश्य है कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना रहे और चुनाव पारदर्शी हो अगर कोई मतदाता ने वर्ष 2015 के बाद अपना वैरीफिकेशन नहीं कराया है तो उसे इस हेतु व्यक्तिगत नोटिस भेजा जाएगा। जिसके लिए 60 दिन की अवधि तय है। जिसका पालन चुनाव समिति के द्वारा नहीं किया गया है। बार काउंसिल की चुनाव नियमावली में वोटर लिस्ट तैयार करने की कुल अवधि 160 दिन निर्धारित है जिसका परिपालन भी चुनाव समिति के द्वारा नहीं किया गया है। जो घोर दंडनीय अपराध है।

माननीय महोदय, आज चुनाव समिति ने अपनी ही नियमावली का उल्लंघन करते हुए स्थानीय बार के उन सभी पदाधिकारियों के नामांकन फार्म स्थानीय बार के पदाधिकारी होने के आधार पर निरस्त कर दिये हैं जिन्हें आपने स्थानीय बार का पदाधिकारी होना जानते हुए चुनाव जीतने के उपरांत 15 दिन के भीतर इस्तीफा देने की छूट प्रदान की थी साथ ही चुनाव समिति ने नामांकन शुल्क वापस ना करने के नियम का उल्लंघन करते हुए नामांकन शुल्क वापस करने का आदेश पारित किया है। इन सारी नियमावली का उल्लंघन होने से संपूर्ण चुनाव रद्द किये जाने योग्य हैं। अतः आपसे आग्रह है कि उम्मीदवारों की सूची जारी ना कर समस्त चुनाव को रद्द करने का आदेश पारित करें।

माननीय महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि हमारे चुनाव अधिकारी श्री पालो साहब ने यह कहा है कि चुनाव समिति को उम्मीदवारों की बार से सदस्यता रद्द करने का अधिकार है। ऐसा उन्होंने मेरी ओर इंगित होकर व्यक्त किया है। मेरा सारी चुनाव समिति से निवेदन है कि मैं अगर नियम विरुद्ध हूँ मैं यदि अपनी राज्य अधिवक्ता परिषद अथवा देश की न्यायपालिका का जानबूझकर कहीं कोई अपमान कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरी सदस्यता रद्द ना की जावे मुझे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जावे, मुझे कोई रंज नहीं होगा। हमारे देश को आजाद कराने के लिए देश के

MADHYA PRADESH HIGH COURT BAR ASSOCIATION

Silver Jubilee Hall
High Court Campus, Jabalpur

President
DHANYA KUMAR JAIN
Advocate
Mob.: 9300787853, 9424323429



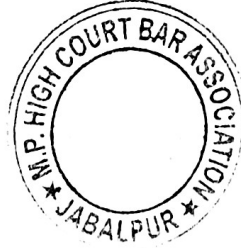
Resident Add.:
1262, Jai Prakash Nagar
Adhartal, Jabalpur (M.P.)

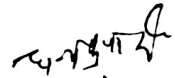
Ref. No.

Date:

हजारों महापुरुषों ने गोलियां खाई हैं सालों जेल की कालकोठरी में तकलीफें और अत्याचार सहे हैं अगर मुझे अपनी न्यायपालिका के गौरव और राज्य अधिवक्ता परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जेल जाना पड़े तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और इस हेतु मैं अपने किसी कार्य के लिए आजीवन ना तो किसी तानाशाह के सामने झुकूंगा और ना ही अपनी गलती स्वीकार करूंगा। जिस प्रकार हमारे शहीदों को देश उनके ना रहने पर याद करता है। आने वाले समय में लोग मुझे भी याद करेंगे ऐसा मुझे प्रभु पर भरोसा है। आप सभी से यह भी आग्रह है कि भविष्य में जब कभी आपके द्वारा संचालित कराये जाने वाले चुनाव न्यायालय से रद्ध होते हैं तो इस चुनाव के संपूर्ण हर्जे खर्चे की वसूली आप उपरोक्त सभी माननीय जनों के ऊपर होगी।

स्थान-जबलपुर
दिनांक-22.04.2026




धन्य कुमार जैन
अध्यक्ष
म.प्र.उ.न्या.अधि.संघ,
जबलपुर